11211 ... पारित कर पुनरीक्षण कर्ता को ... है जबकि श्रीमान् को केवल

(160)

न्यायालय श्रीमान् ~~[illegible]~~ रेवेन्यू बोर्ड अधिकारी राजस्व मण्डल (म.प्र.) ग्वालियर ~~सागर म.प्र.~~

प्र.क्र.:-79 अ-6 /2012-13

R-3975-III/13

प्रताप बल्द गोरे लाल अठ्या उम्र 34 वर्ष

निवासी ग्राम सगोरिया तहसील व जिला दमोह म.प्र.

----पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

छोटे सींग बल्द परषोत्तम सींग लोधी उम्र 55 वर्ष

सा.सोम खेड़ा तहसील व जिला दमोह म.प्र.

----उत्तरवादी

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू-राजस्व संहिता 1959

पुनरीक्षण कर्ता माननीय न्यायालय से निम्न निवेदन करता है:-

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि पुनरीक्षणकर्ता ने एक अपील उत्तरवादी के बिरुद्ध श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय दमोह के समक्ष प्रस्तुत की थी जिसमें पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा अपनी अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 भी प्रस्तुत किया था। जिसमें उसके द्वारा बिलम्ब माफी के सम्बन्ध में अपने आवेदन में यह बात कही थी श्रीमान् नायब तहसीलदार अभाना के द्वारा 25-04-2012 को आदेश पारित किया गया था जिसकी जानकारी न्यायालय में पदस्थ बाबू द्वारा उसे दी गई उक्त जानकारी पुनरीक्षण कर्ता/अपीलार्थी को 11-03-2013 को प्राप्त हुई जिसका अपीलार्थी ने कलेक्टर कार्यालय दमोह में नकल आवेदन दिया जिसकी नकल दिनांक 03-04-2013 को अपीलार्थी प्राप्त हुई थी जिसकी अपील 04-04-2013 को पेश की गई जो दिनांक 11-03-2013 से समयावधि में है जिसमें दिनांक 03-09-2013 को आदेश पारित करते हुये श्रीमान् के द्वारा धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के आवेदन को खारिज किया जिससे दुखित होकर पुनरीक्षणकर्ता यह पुनरीक्षण माननीय राजस्व बोर्ड न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है :-

1. यह कि माननीय न्यायालय (अधीनस्थ न्यायालय) का आदेश विधि सम्मत नहीं होने के कारण स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

B.O.R.

15 OCT 2013

कार्यालय कमिश्नर, सागर सम्भाग, सागर (म.प्र.)

75

25-10-13

आज दिनांक 28/10/13 को ... 28/10/13

31/10/13

प्रकरण क्रमांक :–निगरानी–3975–तीन/2013 जिला–दमोह

प्रताप विरूद्ध छोटे सींग

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22–08–2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी नायब तहसीलदार अभाना, जिला–दमोह के प्रकरण क्रमांक 85/अ–6/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 25–04–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27–07–2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25–9–2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला–दमोह के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 04–11–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0के0 जैन) सदस्य	